प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

प्रशा0 आदेश संख्या : 76 /2021, दिनांक–21.04.2021

आदेश

मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद सम्भल का पत्र सं0–सीएमओ/कोविड–19/2021–22/4699, दिनांकित–21.04.2021 ई–मेल के माध्यम से आज दिनांक–21.04.2021 को सायंकाल में प्राप्त हुआ है। पत्र में उल्लिखित किया गया है कि श्री विरेक अग्रवाल, जो कि जजशिप सम्भल में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी के पीठासीन अधिकारी हैं तथा श्री संतोष, जो कि जजशिप सम्भल स्थित चन्दौसी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी में रात्रिकालीन चौकीदार के पद पर कार्यरत् हैं, की कोविड –19 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, उपरोक्त संबंध में पत्र के साथ चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्दौसी, जनपद सम्भल के पत्र की प्रति भी संलग्न की गयी है। उक्त पत्र में मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत् जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी को दिनांक–22.04.2021 व 23.04.2021 को सैनेटाईजेशन हेतु बन्द किये जाना अत्यन्त आवश्यक बताया गया है।

उपरोक्त संबंध में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, चन्दौसी बार एसोसिएशन, चन्दौसी(सम्भल) से मोबाइल से वार्ता की गयी, उनके द्वारा भी कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत् जनपद न्यायालय परिसर को सेनेटाइजेशन हेतु 48 घण्टे के लिए बन्द किए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–1941/**LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 05-04-2021** के बिन्दु सं0–8 में दिए गए निर्देश के अनुपालन में दिनांक–22.04.2021 व 23.04.2021 को (केवल दो कार्यदिवस हेतु) जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी सेनेटाईजेशन कराने व सुरक्षा की दृष्टि से बन्द रहेगा।

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल स्थित चन्दौसी एवं जनपद न्यायालय परिसर में स्थित अन्य सभी न्यायालयों में (बाह्य न्यायालय गुन्नौर एवं बाह्य न्यायालय सम्भल को छोड़कर) दिनांक–22.04.2021 व 23.04.2021 को नियत जमानत प्रार्थना पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रार्थना–पत्रों की पत्रावलियों में क्रमशः सामान्य तिथि–26.04.2021 व 27.04.2021 तथा दिनांक–22.04.2021 व 23.04.2021 को नियत अन्य सिविल एवं फौजदारी प्रकृति के सभी वादों में क्रमशः सामान्य तिथि 06.05.2021 व 07.05.2021 नियत की जाती है।

नवीन रिमाण्ड से संबंधित कार्य हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी पृथक से आदेश पारित करेंगे।

चूँकि परिवार न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी भी जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी परिसर में ही संचालित है, अतः इस आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी को भी प्रेषित की जाये।

केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी, सम्भल/मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल /अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चन्दौसी से सम्पर्क स्थापित करते हुए न्यायालय परिसर एवं न्यायालय

कक्ष आदि में 12–12 घण्टे के अन्तराल पर हैवी सेनेटाइजेशन कराना सुनिश्चित करें।

समस्त संबंधित सूचित हों तथा आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाये तथा एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

21.4.2021
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. जिलाधिकारी, सम्भल, (सेनेटाइजेशन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु)
2. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
3. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल,
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी,
6. जिला सूचना अधिकारी, सम्भल,
7. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सम्भल,
8. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सम्भल,
9. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद,
10. अध्यक्ष, चन्दौसी, बार एसोसिएशन, चन्दौसी, (सम्भल)
11. अध्यक्ष, व्यवहार एवं सत्र बार एसोसियेशन, चन्दौसी, जिला सम्भल,
12. समस्त पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण

21.4.2021
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।